R
28/08/25

आदेश अन्तर्गत धारा–163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023

गणेश चतुर्थी दिनांक 27.08.2025 व ईद–ए–मिलाद/बारा बफात दिनांक 05.09.2025 व प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)–2025 06.09.2025 व 07.09.2025 व विभिन्न परिक्षायें, विभिन्न राजनैतिक दलों, अराजनैतिक संगठनो द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि के अवसर पर अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।

अतः जनपद में शान्ति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने हेतु मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में तात्कालिक प्रभाव से निषेधात्मक कार्यवाही की नितान्त आवश्यकता है। मैं गौरांग राठी, जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ :–

01. कोई भी व्यक्ति जनपद के किसी भी परीक्षा केन्द्र व उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र तथा मूल्यांकन केन्द्र के चारो ओर 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति प्रवेश नही करेगा।
02. परीक्षा केन्द्र के 200 मी0 परिधि के अन्दर परीक्षार्थी, परीक्षा केन्द्र मे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियो/अधिकारियों, केन्द्र व्यवस्थापको, सुरक्षा कर्मियों, के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश नही किया जायेगा।
03. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रो के अन्दर नकल सामग्री, पेजर, मोबाइल फोन, पेपर, कैलकुलेटर आदि लेकर प्रवेश नही करेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स जे लाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
04. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियो द्वारा ड्यूटी पर तैनात केन्द्र निरीक्षको, केन्द्र व्यवस्थापको, सचल दलो द्वारा ली जाने वाली तलाशी मे व्यवधान नही उत्पन्न किया जायेगा और न ही उन्हे डराने धमकाने और किसी प्रकार की छति पहुचाने का प्रयास किया जायेगा।
05. परीक्षा केन्द्रो से 01.00 किमी0 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर, साईबर कैफे आदि का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
06. परीक्षा केन्द्रों के आस–पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
07. 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठे होने पर पूर्णतया मनाही रहेगी, परन्तु यह प्रतिबन्ध अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नही होगा।
08. किसी को किसी भी तरह का सोशल मीडिया में आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट, जिसके अन्तर्गत व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सम्मिलित है, पर न ही लिखा जायेगा और न ही प्राप्त संदेश को फारवर्ड किया जायेगा।
09. कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी बोर्ड/सूचक आदि पर किसी प्रकार का पोस्टर/बैनर/वाल पेण्टिंग नही लगायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो वह संज्ञेय अपराध माना जायेगा।
10. गोला, बारूद, पटाखा, आतिशबाजी आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
11. लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबन्धित रहेगा।
12. ऐसा कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र घर के अन्दर नही बजाया जायेगा, जिसकी ध्वनि घर से बाहर आ रही हो, जो पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
13. उपरोक्त तीनों प्रतिबन्ध परम्परागत त्यौहारो/परम्परागत उत्सव पर लागू नही होगा।
14. उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन द्वारा बिना अनुमति प्राप्त करें किसी भी प्रकार का आयोजन नही किया जायेगा।

क्रमशः.................2

Scanned with OKEN Scanner

15. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन कोई भी आग्नेयास्त्र, लाठी–डण्डा, कांता–भाला, फरसा, बांका, कृपाण, चाकू, तलवार आदि कोई ऐसी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, जिससे किसी को शारीरिक क्षति अथवा चोट पहुंचायी जा सके। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी स्टाफ अथवा विकलांग व्यक्ति द्वारा सहारे के लिये ली गयी छड़ी या बैसाखी पर लागू नहीं होगा।

16. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन, समूह, प्रेस, समाचार पत्र, ऐसा कोई लेख, पोस्टर/परचे न लिख़ेगा, न छपवायेगा, न छापेगा और न ही कहीं चस्पा करेगा और न ही मोबाइल के माध्यम से किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति सम्प्रदाय या किसी व्यक्ति अथवा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे तथा राष्ट्रीय एकता विखण्डित होने अथवा शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो।

17. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन द्वारा किसी तरह से सड़क मार्ग अथवा रेल यातायात मार्ग एवं सामान्य आवागमन मार्ग को बाधित नही करेगा, जिससे लोक प्रशान्ति प्रभावित होने की सम्भावना उत्पन्न हो।

18. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन किसी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली, या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम बिना पूर्वानुमति के आयोजित नहीं करेगा।

19. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी, संगठन ऐसा कोई उत्तेजक भाषण, नारेबाजी आदि नहीं करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार से शांति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो।

20. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/समूह/सम्प्रदाय ऐसा कोई वक्तव्य न बोलेगा न लिखेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव या अन्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो।

21. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/संगठन/सम्प्रदाय ऐसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषीय समुदायो के बीच मतभेदो को बढ़ावा मिले और घृणा की भावना व तनाव उत्पन्न हो।

22. कोई भी व्यक्ति/समूह क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी छत/प्रतिष्ठानो में ईंट–पत्थर आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा और न उसमें भाग लेगा, जिससे शांति व्यवस्था विखण्डित हो एवं सार्वजनिक सम्पत्ति या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे और पारस्परिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

23. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी/संगठन/सम्प्रदाय द्वारा किसी भी सभा, समारोह का अयोजन बिना पूर्वानुमति के नहीं करेगा तथा हवाई हर्ष फायर, गोला–बारूद, आतिशबाजी आदि का प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा, तथा किसी प्रकार का जुलूस नही निकालेगा, जिससे दूसरों की भावनाये आहत हो और शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो।

24. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी/संगठन/सम्प्रदाय भड़काऊ बातचीत नहीं करेगा, तथा ऐसा कोई एस.एम.एस., एम.एम.एस., अकेले या समूह में नहीं भेजेगा, जिससे साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुचे या किसी व्यक्ति को आघात पहुचे और अफवाहो को बल मिले।

25. कोई भी व्यक्ति/समुदाय/राजनैतिक/अराजनैतिक पार्टी/संगठन द्वारा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायेगा अन्यथा शासनादेश संख्या–4131/छः–पु–14–10–500–(289)/09 दिनांकः 08.01.2011 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुक्रम में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में, न्यायिक अवमानना/वैधानिक कार्यवाही/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

क्रमशः............3

Scanned with OKEN Scanner

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवसों तक सम्पूर्ण जनपद उन्नाव में प्रभावी होगा। चूंकि आदेश को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा–221 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद के समस्त थाना प्रभारी, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार द्वारा कराया जाये। आदेश की अतिरिक्त प्रतियां सहायक निदेशक सूचना, उन्नाव को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित की जायें। इस आदेश को दिनांक 23.09.2025 के पूर्व किसी भी समय संशोधित, परिवर्तित एवं निरस्त किया जा सकता है।

उक्त संशोधित आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित निर्गत किया गया।

(गौरांग राठी)
जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

संख्या–7614 /बीस–जे0ए0–धारा–163 भा0ना0सु0सं0–2023 दिनांक 25/08/, 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. मा0 जनपद न्यायाधीश, उन्नाव।
02. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस आशय से कि कृपया समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, जनपद उन्नाव को अपने स्तर से सूचित कराने के उपरान्त व्यापक प्रचार–प्रसार कराये।
03. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
04. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव।
05. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उन्नाव।
06. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), उन्नाव।
07. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
08. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय, कलेक्ट्रेट उन्नाव।
09. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद उन्नाव।
10. समस्त तहसीलदार, जनपद उन्नाव।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव।
13. सहायक निदेशक सूचना, उन्नाव को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14. संयुक्त निदेशक अभियोजन, उन्नाव।
15. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), उन्नाव।
16. आशु लिपिक, जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
17. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, उन्नाव को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

Scanned with OKEN Scanner